भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य

किसी भी स्कूल या कॉलेज को चलाने के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार छात्रों का भविष्य तय होता है, ठीक उसी प्रकार आप संविधान को ऐसे नियम की पुस्तक के रूप में देख सकते है, जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होती है क्योंकि संविधान में ही उस देश के सभी मूल भाव और कर्तव्य निहित होते हैं।

केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जनता प्रतिनिधि (सांसद, विधायक) से लेकर आम जनता सभी पर संविधान समान रूप से लागू होता है।

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का आधार संविधान होता है, इसमें उस देश या राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा देश का प्रशासन चलाने के लिए नियम का निर्माण किया जाता है। संविधान के द्वारा सत्ता का दुरुप्रयोग रोका जा सकता है, इसके द्वारा मूल शक्ति वहाँ की जनता में निहित की जाती है, जिससे किसी गलत व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचने पर उसको पद से हटाया जा सकता है।

यह कहा जा सकता है कि संविधान के द्वारा प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिशा–निर्देश दिया जाता है, जिसका उलंघन नहीं किया जा सकता है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गयी है। संविधान में दिए गए नियमों का उलंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार।

भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है, यदि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकती है।

© JCERT not to be republished

भारतीय संविधान की शुरुआत (A History of Constitution in India)

- वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैण्ड पर पड़ने लगा। इंग्लैण्ड की तत्कालीन सरकार का सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी भूमिका है। इन सभी दबावों के साथ इंग्लैण्ड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन का उत्तरदायित्व भारत की सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरण करके वापस आना था ।

- कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किये जिसमें एक प्रावधान संविधान सभा का गठन करना था। यह सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी और सत्ता ग्रहण करेगी।
- कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया जिसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ । इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ सच्चिदानंद के द्वारा की गयी, डॉ सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे।
- संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना। इस संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। इसका अध्यक्ष डॉ भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया तथा पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान के प्रमुख बिंदु (MAIN POINTS OF CONSTITUTION)

भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी । इस संविधान में दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कई अन्य देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है।

अन्य देशों से लिए गए प्रावधान

- संयुक्त राज्य अमेरिका– न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, न्यायधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता।
- इंग्लैण्ड– संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व कानून बनाने की प्रक्रिया।
- आयरलैंड –राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन उपबंध।
- ऑस्ट्रेलिया–प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान।
- सोवियत रूस–मूल कर्त्तव्य।
- जापान–विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
- फ्रांस– गणतंत्रात्मक शासन पद्धत्ति।
- कनाडा– संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना ।

© JCERT not to be republished

- दक्षिण अफ्रीका– संविधान संसोधन की प्रक्रिया।
- जर्मनी– आपातकालीन उपबंध।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा, उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

नोटः 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा और अखण्डता, शब्द को जोड़ा गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांत हैं– MAIN PRINCIPLES OF THE PREAMBLE IN THE INDIAN CONSTITUTION

1. प्रस्तावना (Preamble) में संविधान के स्रोत का उल्लेख है और कहा गया है– "हम, भारत के लोग .....संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।
2. प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों का परिचय देती है जिन्हें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय किया है। इन आदर्शों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है।
3. प्रस्तावना भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला है, प्रस्तावना (Preamble) में कहा गया है कि भारत ने इस संविधान द्वारा एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है।
4. संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़ दिया गया है। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि संविधान सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म तथा उपासना–पद्धति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
5. पाँचवें, प्रस्तावना द्वारा भारत को एक "समाजवादी" राज्य घोषित किया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया है। इस प्रकार

© JCERT not to be republished

हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। मात्र प्रस्तावना के अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों द्वारा किस तरह के संविधान का निर्माण किया गया है।

प्रश्नोत्तर

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना है–

(क) एक प्राक्कथन या परिचय (ख) एक लम्बी कविता
(ग) एक लम्बी कहानी (घ) एक लघु कथा

उत्तर. (क)

2. भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार लिया है

(क) ब्रिटिश संविधान से (ख) अमेरिकी संविधान से
(ग) फ्रांसीसी संविधान से (घ) इटली के संविधान से

उत्तर. (ख)

3. निम्नलिखित शब्दों में किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है?

(क) न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
(ख) न्याय एवं बंधुत्व स्वतंत्रता,
(ग) समानता और बंधुत्व
(घ) स्वतंत्रता एवं समानता

उत्तर. (क)

4. निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है?

(क) प्रस्तावना संविधान का अंग है
(ख) भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कानूनी मान्यता नहीं है
(ग) भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कानूनी मान्यता है
(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर. (ग)

5. 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किस एक को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है?

(क) न्याय एवं स्वतंत्रता (ख) बंधुत्व और न्याय
(ग) संप्रभु एवं लोकतांत्रिक (घ) समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष

उत्तर. (घ)

© JCERT not to be republished

6. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है

(क) इंगलैंड (ख) आयरलैंड

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका (घ) आस्ट्रेलिया

उत्तर. (ग)

6. भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से तत्व लिए गए हैं

(क) न्यायपालिका की स्वतंत्रता (ख) राष्ट्रपति का निर्वाचन

(ग) मौलिक अधिकार (घ) सभी

उत्तर. (घ)

7. भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं।

(क) नीति–निर्देशक तत्व

(ख) आपातकालीन उपबंध

(ग) राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था

(घ) सभी

उत्तर. (घ)

मिलान करें

अ	ब
क. वित्तीय आपात	i- सोवियत रूस
ख. संसदीय शासन प्रणाली	ii. फ्रांस
ग. नीति–निर्देशक तत्व	iii. इंग्लैण्ड
घ. मूल कर्तव्य	iv. आयर लैंड
ङ. गंत्रात्मक शासन पद्धति	v. संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर. (क)–v, (ख)–iii, (ग)–iv, (ग)–iv, (घ)–i, (ङ)–ii,

संप्रभुता

राज्य सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम संप्रभुता है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन हैं। संप्रभुता बाहरी तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है।

सम्प्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है, जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने लिए स्वतंत्र हैं। राज्य के अन्दर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के

© JCERT not to be republished

ऊपर नहीं हैं। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बहारी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतन्त्र होता है।

- **बोन्दा के अनुसार"**– संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता हैं जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं हैं।
- **ग्रोसियस के अनुसार**– सम्प्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नही है, और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है।
- **सोल्टाऊ के अनुसार**– राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति सम्प्रभुता है।
- **बर्गेस के अनुसार**– राज्य के सब व्यक्तियों व व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, सम्पूर्ण और असीम शक्ति है, वही संप्रभुता है।
- **डुग्वी के शब्दों में**– सम्प्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य–सीमा क्षेत्र मे निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बन्धन के आज्ञा प्रदान करती है।
- **विलोबी के अनुसार,**– प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती हैं।"

संप्रभुता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं––

1. असीमता

सम्प्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण उसका सर्वोच्च और असीम होना है। राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह विधि के द्वारा भी सीमित नहीं की जा सकती है। संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी शक्ति का प्रभुत्व या नियंत्रण नही होता है। वह आन्तरिक और बाहरी विषयों मे पूर्णतया स्वतंत्र है। वह किसी अन्य शक्ति की आज्ञाओं का पालन करने के लिये बाध्य नहीं है, वरन् देश के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि कोई शक्ति संप्रभुता को सीमित करती है तो सीमित करने वाली शक्ति ही संप्रभुता बन जाती है।

2. स्थायित्व

संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नही रहती ऐसा नही होता। राज्य की संप्रभुता में स्थायित्व होता है। प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार के बदलने से संप्रभुता पर कोई अंतर नहीं आता क्योंकि संप्रभुता राज्य का गुण है सरकार का नहीं। संप्रभुता के अंत का अभिप्राय राज्य के अंत से होता है।

3. मौलिकता

© JCERT not to be republished

संप्रभुता की तीसरी विशेषता यह की संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है अर्थात् उसे यह शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि राज्य स्वयं अर्जित करता है और स्वयं ही उसका प्रयोग भी करता है। संप्रभुता ही सर्वोच्च शक्ति होती है। वह न तो किसी को दी जा सकती है और न ही किसी से ली जा सकती है।

4. सर्वव्यापकता

देश की समस्त शक्ति एवं मानव समुदाय संप्रभुता की अधीनता में निवास करते है। कोई भी व्यक्ति इसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है अथवा किसी प्रान्त को स्वायत्त–शासन का अधिकार दे सकता है। राज्य विदेशी राजदूतों से विदेशी राजाओं को राज्योत्तर संप्रभुता प्रदान करता है, किन्तु इससे राज्य के अधिकार व उसकी शक्ति परिसीमित नहीं हो जाती। वह ऐसा करने के उपरांत भी उतना ही व्यापक है जितना कि वह इससे पूर्व था।

5. अदेयता

संप्रभुता चूँकि अखण्ड और असीम होती है, इसलिए यह किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य अपनी संप्रभुता किसी और को हस्तान्तरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही मिट जायेगा।

6. अविभाज्यता

संप्रभुता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापक होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि संप्रभुता के टुकड़े कर दिए जाएँ तो राज्य के भी टुकड़े–टुकड़े हो जाएँगे। अन्य समूह या संस्थाएँ अपने सदस्यों के सन्दर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती हैं, वह उन्हें राज्य की संप्रभुता में से काटकर नहीं दी जाती, बल्कि वह राज्य की प्रभुसत्ता की देन होती है। राज्य की प्रभुसत्ता के सामने अन्य सब व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौण होती है। संघीय व्यवस्था (Federal System) के अन्तर्गत भी संप्रभुता संघ और इकाइयों में बँट नहीं जाती बल्कि निर्दिष्ट विषयों के सन्दर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बंटे होते हैं। अधिकार क्षेत्रों का यह वितरण या उनमें कोई संशोधन भी प्रभुसत्ता के प्रयोग से ही सम्भव होता है।

7. अनन्यता

संप्रभुता अनन्य मानी गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में केवल एक ही शक्ति हो सकती है, दो नहीं। संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। क्योंकि यदि एक राज्य में दो प्रभुसत्ताधारी (Sovereign) मान लिये जाएँ तो उससे राज्यों की एकता नष्ट हो जाती है। एक

© JCERT not to be republished

प्रभुत्व सम्पन्न राज्य (Sovereign State) के अन्दर दूसरा प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं रह सकता।

1. संप्रभुता का तात्पर्य है
   (क) सर्वव्यापकता (ख) मौलिकता
   (ग) स्थायित्व (घ) सभी

उत्तर. (घ)

42वाँ संविधान संशोधन (1976)– यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे।

1. संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखण्डता शब्दों को जोडा गया।
2. मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 (क), भाग 4 (क)
3. शिक्षा, वन और वन्यजीव, राज्यसूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
4. लोक सभा और विधान सभा के कार्यकाल को बढाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।
5. राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।
6. संसद द्वारा किये गये संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के किस संशोधन में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे?
   (क) 41वाँ संशोधन अधिनियम (ख) 42वाँ संशोधन अधिनियम
   (ग) 43वाँ संशोधन अधिनियम (घ) 44वाँ संशोधन अधिनियम

उत्तर. (ख)

लोकतन्त्र

लोकतन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है, तथा उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतन्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, 'लोक' और 'तन्त्र'। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन।

© JCERT not to be republished

अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार "लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है।" लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है की जनता अपनी मर्जी से सरकार चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।

गणराज्य

गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहां के शासनतन्त्र में सैद्धान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तन्त्र को गणतन्त्र कहा जाता है। लोकतन्त्र वो शासनतन्त्र होता है जहाँ वास्तव में सामान्य जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है। आज विश्व के अधिकांश देश गणराज्य हैं और इसके साथ–साथ लोकतान्त्रिक भी। भारत एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है।

गणराज्य शब्द की उत्पत्ति फ्रांस देश से हुई है। प्राचीन काल में दो प्रकार के राज्य कहे गए हैं। एक राजाधीन और दूसरे गणधीन। राजाधीन को एकाधीन भी कहते थे। जहाँ गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता था, वे ही गणाधीन राज्य कहलाते थे। इस विशेष अर्थ में पाणिनि की व्याख्या स्पष्ट और सुनिश्चित है। उन्होंने गण को संघ का पर्याय कहा है।

प्रश्न 3. गणराज्य शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है।

(क) इटली (ख) आयरलैंड

(ग) सोवियत रूस (घ) फ्रांस

उत्तर. (घ)

सामाजिक न्याय (Social justice)

आधुनिक राजनैतिक इतिहास के प्रथम भारतीय गणराज्य की स्थापना सन 1950 में हुई थी। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (Social Justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ।

विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा है। अधिकांश मौकों पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज्यादा संरचात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना

© JCERT not to be republished

पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्षों के कारण इन समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं। कुल मिला कर समय के साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई नये आयाम जुड़े हैं स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रो. लास्की के अनुसार, उस वातावरण की स्थापना से है जिसमे मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते है।

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of India Constitution)

1. संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
2. प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा––हम भारत के लोग...... इस संविधान को "अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। "भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्‌घोष करते हैं।
3. प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है।
4. प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 के निर्णय में घोषित किया गया।
5. प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोगश ही हैं।
6. बेरुबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, 1973 में कहा की प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है।
7. केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना।
8. संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, स्पष्टत संसद वैसा संशोधन कर सकती है, जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है।
9. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद (19–22) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं.

1. वाक्–स्वतंत्रता (बोलने की स्वतंत्रता) आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जमा

© JCERT not to be republished

होने, संघ या यूनियन बनाने, आने–जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार।

2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
4. शिक्षा का अधिकार
5. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद (23–24) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं–

1. मानव व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध।
2. कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
3. किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद (25–28) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित हैं, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है–

1. अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अन्दर सिक्खों को कृपाण (तलवार) रखने कि आजादी प्राप्त है ।
2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता।
3. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
4. कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता

स्वतंत्रता (लिबर्टी) शब्द लैटिन शब्द लीबर से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है "बंधन मुक्त"। स्वतंत्रता की कल्पना इस प्रकार से की गई है कि उसमें व्यक्ति का कार्य स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप ना हो। हमारे संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव ही नहीं है यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की

© JCERT not to be republished

स्वतंत्रता के अधिकार की सकारात्मक संकल्पना है। इसमें उन विभिन्न स्वतंत्रताओं का समावेश है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में मूर्त रूप लिया है तथा जिन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। मिसाल के लिए अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 25 से 28 में विश्वास, धर्म और उपासना समेत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समाविष्ट है। इस सकारात्मक अर्थबोध में स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता।

समानता

राजनीति विज्ञान के संदर्भ में समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी पुरुष और स्त्री सभी परिस्थितियों में बराबर है। उनके बीच शारीरिक मानसिक और आर्थिक अंतर तो होंगे ही हमारी उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसके कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू हैं। सभी नागरिक विधि के नजर में बराबर और उन्हें देश की विधियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है सार्वजनिक स्थान में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूल, वंश, जाति, स्त्री, पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विभेद नहीं हो सकता।

बंधुता

बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्वसामान्य भाईचारा, सभी भारतीयों के एक होने की भावना, यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता अखंडता प्रदान करता है, इसे प्राप्त करना कठिन है। बंधुता का एक अंतरराष्ट्रीय पक्ष भी है जो हमें विश्व बंधुत्व की संकल्पना अर्थात समूचा विश्व एक परिवार है।

प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर ले जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 51 में निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा निर्देशक तत्व के रूप में राज्य को यह दिशा निर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार डाले कि सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ–साथ जीविका के पर्याप्त साधन गांव की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना था जो मनुष्य की गरिमा का एक अपमान था। अनुच्छेद 32 में ऐसा

© JCERT not to be republished

उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है।

राष्ट्र की एकता तथा अखंडता

व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। सर्वसामान्य भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते हैं और ना ही हम लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देश वासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। इसलिए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कम से कम ऐसे मामलों में जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभाव को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उनका मुकाबला करेंगे यदि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्र निर्माण का कार्य असंभव हो जाता है।

समता का अधिकार (समानता का अधिकार)

अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न समानता का अधिकार दिया गया है–

1. कानून के समक्ष समानता।
2. जाति, लिंग, धर्म, तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
3. सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है।
4. इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है अस्पृश्यता के आचरणकर्ता को 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया।
5. इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही।

   - 29 मई 1978 को संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई

© JCERT not to be republished

- स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 (क) संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए।
- वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। अतः मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या अब 11 है।

प्रश्न 1. अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम कब जोड़ा गया?

(क) 1956 द्वारा (ख) 1955 द्वारा
(ग) 1957 द्वारा (घ) 1958 द्वारा

उत्तर. (ख)

2. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है ?

(क) भाग II (ख) भाग III
(ग) भाग IV (घ) भाग VI

उत्तर. (ख)

3. भारत के संविधान का भाग 51(क) सम्बद्ध है–

(क) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों से
(ख) मूल कर्तव्यों से
(ग) मूल अधिकारों से
(घ) नागरिकता से

उत्तर. (ख)

4. मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई ?

(क) भारत (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ग) फ्रांस (घ) ब्रिटेन

उत्तर. (ख)

5. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है –

(क) संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक
(ख) संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक
(ग) संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक
(घ) संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक

उत्तर. (क)

© JCERT not to be republished

6. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है ?

(क) भाग I (ख) भाग II

(ग) भाग V (घ) भाग IV

उत्तर. (घ)

7. मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि वह–

(क) न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है।

(ग) सरलता से संशोधनीय नहीं है।

(घ) मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं।

उत्तर. (ख)

8. भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे?

(क) 6 (ख) 7

(ग) 4 (घ) 5

उत्तर. (ख)

9. वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ?

(क) 6 (ख) 7

(ग) 4 (घ) 5

उत्तर. (क)

10. भारत के संविधान में मौलिक अधिकार –

(क) मूल संविधान का हिस्सा था

(ख) चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे

(ग) संसद द्वारा 1952 में जोड़े गये थे

(घ) 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये थे

उत्तर. (क)

11. भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है

(क) नीति निर्देशक सिद्धांत (ख) प्रस्तावना

(ग) मूल कर्तव्य (घ) मूल अधिकार

उत्तर. (घ)

12. मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है–

© JCERT not to be republished

(क) उच्चतम न्यायालय पर (ख) उच्च न्यायालय पर
(ग) उपर्युक्त दोनों पर (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश पर

उत्तर. (ग)

13. मौलिक अधिकारों का निलम्बन कौन कर सकता है ?
(क) प्रधानमंत्री (ख) संसद
(ग) राष्ट्रपति (घ) सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर. (ग)

14. मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है–
(क) सर्वोच्च न्यायालय (ख) जिला न्यायालय
(ग) प्रधानमंत्री (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर. (क)

15. संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल –
(क) राष्ट्रपति द्वारा (ख) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(ग) संसद द्वारा (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर. (ग)

16. भारतीय नागरिकों को प्रदान किये गये मूल अधिकारों को–
(क) निलम्बित नहीं किया जा सकता है
(ख) निलम्बित किया जा सकता है
(ग) किसी भी परिस्थिति में निलम्बित नहीं किया जा सकता है
(घ) कुछ भी सही नहीं है

उत्तर. (ख)

17. निम्नलिखित में से कौन–से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं ?
(क) केंद्र व राज्यों के बीच विवाद (ख) राज्यों के परस्पर विवाद
(ग) मूल अधिकार का प्रवर्तन (घ) संविधान के उल्लंघन से संरक्षण

उत्तर. (ग)

18. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है ?
(क) संसद (ख) राष्ट्रपति
(ग) न्यायपालिका (घ) मंत्रिमंडल

उत्तर. (ग)

19. मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश कौन दे सकता है?

© JCERT not to be republished

(क) प्रधानमंत्री (ख) संसद
(ग) सर्वोच्च न्यायालय (घ) राष्ट्रपति

उत्तर. (घ)

20. मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार किसको है?
(क) राष्ट्रपति को (ख) संसद को
(ग) न्यायापालिका को (घ) इनमें से किसी को नहीं

उत्तर. (ख)

संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 (ए) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर आगे बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।
11. अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें।

© JCERT not to be republished

मौलिक कर्तव्यों का महत्व

भारतीय लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में मौलिक कर्तव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है

1. संविधान में मूल कर्तव्य की स्थापना से अधिकारों और मूल कर्तव्य में संतुलन स्थापित होता है।
2. मौलिक कर्तव्य व्यक्ति में सामाजिक दायित्व की भावना का संचार करते हैं अंततः जिससे राष्ट्रीय भावना में वृद्धि होती है।
3. यह कर्तव्य भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और यह कर्तव्य भारतीय जनता में बंधुत्व की भावना बढ़ाते हैं।

प्रश्न 1. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है–

(क) सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करना।

(ख) हिंसा का परित्याग करना।

(ग) धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना।

(घ) भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना।

उत्तर. (क)

प्रश्न 2. भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है ?

(क) राष्ट्र गान, ध्वज आदि का सम्मान।

(ख) संविधान का पालन करें।

(ग) राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण।

(घ) उपर्युक्त सभी।

उत्तर. (घ)

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है?

(क) अनुच्छेद 50 क (ख) अनुच्छेद 50 ख

(ग) अनुच्छेद 51 क (घ) अनुच्छेद 51 ख

उत्तर. (ग)

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन – सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है ?

(क) देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना

© JCERT not to be republished

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना ।

(ग) सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना

(घ) सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना

उत्तर. (घ)

प्रश्न 5. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है ?

(क) आयरलैंड (ख) ब्रिटेन

(ग) ऑस्ट्रेलिया (घ) पूर्व सोवियत संघ

उत्तर. (घ)

प्रश्न 6. निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी

(क) कोठारी समिति (ख) बलवंत राय मेहता समिति

(ग) अशोक मेहता समिति (घ) स्वर्ण सिंह समिति

उत्तर. (घ)

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया ?

(क) 1972 ई. (ख) 1976 ई.

(ग) 1977 ई. (घ) 1978 ई.

उत्तर. (ख)

प्रश्न 8. मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया –

(क) 40वें संविधान संशोधन द्वारा

(ख) 43वें संविधान संशोधन द्वारा

(ग) 42वें संविधान संशोधन द्वारा

(घ) 39वें संविधान संशोधन द्वारा

उत्तर. (ग)

प्रश्न 9. 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है ?

(क) मौलिक अधिकार (ख) मौलिक कर्तव्य

(ग) पंचायती राज सिद्धांत (घ) नीति–निर्देशक सिद्धांत

उत्तर. (ख)

© JCERT not to be republished

प्रश्न 10. 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किये गये ?

(क) 8 (ख) 10

(ग) 11 (घ) 12

उत्तर. (ख)

प्रश्न 11. भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किये गए ?

(क) 1971 (ख) 1972

(ग) 1976 (घ) 1978

उत्तर. (ग)

प्रश्न 12. संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है ?

(क) भाग III (ख) भाग III क

(ग) भाग IV (घ) भाग IV क

उत्तर. (घ)

प्रश्न 13. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी ?

(क) चार (ख) पांच

(ग) दो (घ) तीन

उत्तर. (क)

प्रश्न 14. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है?

(क) अनुच्छेद 51 A (ख) अनुच्छेद 50 A

(ग) अनुच्छेद 49 A (घ) अनुच्छेद 52 A

उत्तर. (क)

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान में अंकित मूल अधिकार कौन कौन से हैं लिखें?

प्रश्न 2. भारत के संविधान की प्रस्तावना को कॉपी में लिखें।

प्रश्न 3. समता के अधिकार से क्या तात्पर्य है और कौन कौन से समता के अधिकार हमें प्राप्त हैं?

© JCERT not to be republished